फल बहार, वर्ष 2024 एवं 2025 नीलामी सूचना

वन अनुसंधान संस्थान

देहरादून।

अधिसूचना सं. 0-1(6)/2004/रेंज/सिल्वा / भाग-2/71 | दिनांक : 16-04-2024

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून के प्रांगण में स्थित फल बहार की वर्ष 2024 एवं 2025 की नीलामी दिनांक 01/05/2024 को प्रातः 10:00 बजे सहायक वन संवर्धनिक (प्रयोग) के समक्ष वन क्षेत्राधिकारी, वन संवर्धन एवं प्रबंधन प्रभाग के कार्यालय में संपादित की जाएगी।

सभी इच्छुक बोली दाताओं को गेट मनी राशि रु 10,000/- (रुपये दस हज़ार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट, जो निदेशक, वन अनुसंधान संस्थान के नाम देय होगा अथवा नगद राशि बोली से पहले रेंज कार्यालय में जमा करानी होगी। कोई भी बोली दाता तब तक बोली लगाने का पात्र नहीं होगा जब तक कि गेट मनी राशि रु 10,000/- (रुपये दस हज़ार) मात्र को जमा नहीं कर देते। गीलामी में सम्मिलित होने वाले बोलीदाता को अपने पेन कार्ड सं० एवं अपने पहचान पत्र के रूप में आधार सं० की प्रति रेंज कार्यालय में जमा करानी होगी। उच्चतम बोलीदाता को बोली की 50 प्रतिशत राशि नियमानुसार देय कर सहित (TCS आदि) बोली स्वीकार होने पर उस ही तिथि में जमा करनी होगी, शेष क्रय मूल्य की राशि स्वीकृति जारी होने की दिनांक से 07 कार्यदिवस के भीतर जमा करनी होगी। फल बहार के नियम व शर्त संस्थान की वेबसाईट www.fri.icfre.gov.in पर देखी जा सकती है तथा रेज कार्यालय दूरभाष 01352224418 पर संपर्क किया जा सकता है।

प्रभाग प्रमुख

वन संवर्धन एवं प्रबंधन प्रभाग

वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून

वन अनुसंधान संस्थान

(भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून)

<u>वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून के प्रांगण में स्थित फल बहार वर्ष 2024 एवं 2025 की नीलामी</u>

इस कार्यालय के अधिसूचना सं. 0-1(6)/2004/रेंज/सिल्वा/भाग-2/74/दिनांक : 16-04 2024 के क्रम में वन अनुसंधान संस्थान के परिसर में स्थित फल बहार के वृक्षों की नीलामी दिनांक 01/05/2024 को प्रातः 10:00 बजे से प्रभाग प्रमुख, वन संवर्धन एवं प्रबंधन प्रभाग के समक्ष रेंज कार्यालय में संपादित की जाने वाली नीलामी की नियम व शर्तें निम्न प्रकार होगी।

<u>नीलामी की मुख्य शर्तें:-</u>

1. वन अनुसंधान संस्थान परिसर में स्थित फल बहार के वृक्षों की (अनुमानित) सूची साथ में ही संलग्न है। सम्पूर्ण बगीचा को एक ही लॉट में रखा गया है। बोलीदाता को सम्पूर्ण बगीचे के लिए अपनी बोली देनी होगी।
2. प्रत्येक बोलीदाताओं को गेट मनी राशि रु 10,000/- (रुपये दस हज़ार) मात्र बैंक ड्राफ्ट जो निदेशक, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून के नाम देय होगा अथवा नगद राशि। कोई भी बोलीदार तब तक बोली लगाने की पात्रता नहीं रखेंगे जब तक कि गेट मनी राशि जमा नहीं कर देते।
3. फल बहार की नीलामी दो वर्षों 2024 एवं 2025 , के लिए की जाएगी।
4. उच्चतम बोलीदाता को बोली की 50 प्रतिशत राशि नियमानुसार देय कर सहित (TCS आदि) बोली स्वीकार होने पर उसी तिथि में जमा करनी होगी, शेष कार्य मूल्य की राशि नियमानुसार देय कर सहित (TCS आदि) स्वीकृति जारी होने की दिनांक से 07 कार्यदिवस के भीतर जमा करनी होगी। यदि स्वीकार्य बोलीदाता बोली की राशि को 07 दिन के अंदर जमा करने में असमर्थ होता है तो बोलीदाता की 50 प्रतिशत एवं जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।
5. असफल बोलीदाता की धरोहर धनराशि नीलामी के पश्चात तुरंत वापिस कर दी जाएगी। उच्चतम बोलीदाता की धरोहर धनराशि जमानत के रूप में संतोषजनक रूप से कार्य करने का प्रमाण पत्र देने पर वापिस की जाएगी।
6. जिस ठेकेदार की बोली स्वीकृत होगी उसे सूची में दर्शाएँ हुए फल के वृक्षों के अतिरिक्त अन्य फलों व पेड़ों से कोई संबंध नहीं होगा।
7. चयनित ठेकेदार को अपने साथ लाये मजदूरों के पहचान पत्र रेंज कार्यालय में जमा कराने होंगे।
8. ठेकेदार बाग में किसी पशु को बांधकर या छोड़कर नहीं रख सकता और ना ही किसी अन्य व्यक्ति को जानवर चराई के लिए रखेगा और ना ही पेड़ों से किसी प्रकार की लकड़ी आदि नहीं काटेगा।
9. बोलीदाता नीलामी सम्मिलित होने से पूर्व बाग का पूर्ण रूप से निरीक्षण कर ले एवं फल बहार माल के विषय में संतुष्टि कर ले। माल के संबंध में विभाग कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगा।
10. उच्चतम बोलीदाता की स्वीकृति प्राप्त होने की तिथि से दर्शाएँ गए फलदार वृक्षों की देखभाल एवं बाग की क्षति की पूर्ण ज़िम्मेदारी होगी। चयनित ठेकेदार फल के वृक्षों में किसी प्रकार की कीटनाशक या अन्य दवाइयों का उपयोग नहीं करेंगे। कार्य पूर्ण होने के उपरांत ठेकेदार को वन क्षेत्राधिकारी से संतोषजनक रूप से कार्य करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा जिसके आधार पर उनकी धरोहर धनराशि वापिस योग्य होगी।
11. कार्य के दौरान परिसर में वन संपदा को कोई क्षति नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग होना चाहिए। यदि परिसर में कोई भी क्षति होती है तो तुरंत ही ठेकेदार का ठेका रद्द कर ठेकेदार द्वारा जमा की गयी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।
12. कार्य के दौरान परिसर में जहां भी फलों के पत्ते, कूड़ा आदि गिरा होगा उसकी उठवाने की पूर्ण ज़िम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
13. फलों के निकासी हेतु पास रेंज कार्यालय से प्राप्त करना होगा।
14. अधोहस्ताक्षरी को पूर्ण रूप से अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताए अथवा समस्त निविदाओं को अस्वीकृत कर दें।

प्रभाग प्रमुख

वन संवर्धन एवं प्रबंधन प्रभाग

वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून।